न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJuReviewMisc011 Mangilal Vs Gordhanram

मांगीलाल पुत्र गंगाराम जाट
निवासी बांडाकलां तहसील पीपाडशहर
जिला जोधपुर

----- प्राथी

ब

ना

म

1. गोरधनराम पुत्र बिरमाराम जाट
   निवासी बाडाकलां, तहसल पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
   हाल निवासी दुकान नम्बर 11, 12 क्वींस रोड
   भान नगर, जयपुर
2. चिमनाराम पुत्र बिरमाराम जाट
   निवासी बाडाकलां, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
3. रामलाल पुत्र बिरमाराम जाट
   निवासी बाडाकलां, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
   हाल निवासी 119, पूर्वी पाल रोड योजना
   यूआईटी कालोनी शोभावतों की ढाणी,
   पोस्ट पाल, जिला जोधपुर
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर
   जिला जोधपुर

----- अप्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01
सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी विरुद्ध
निर्णय अदालत हाजा दिनांक 19 फरवरी 2018
राजस्व अपील संख्या 46/2005 मांगीलाल
बनाम गोरधानराम इत्यादि**

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री बी.एल.विश्नोई, अधिवक्ता - प्रार्थी
श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता-अप्रार्थीगण सं. 01 से 03

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - अप्रार्थी संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 22 जनवरी 2020

प्रार्थी ने अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 46/2015 मांगीलाल बनाम गोरधनराम में पारित निर्णय दिनांक 19 फरवरी 2018 के खिलाफ सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत यह रिव्यु प्रार्थनापत्र दिनांक 09 अप्रेल 2018 को प्रस्तुत किया है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि:--

- अप्रार्थी-वादी गोरधनराम ने सहायक कलेक्टर बिलाडा के समक्ष राजस्व ग्राम बाडांकलां स्थित आराजी खसरा संख्या 101, 103, 105, 64, 78, 166 एवं 77 तथा 609 और 668 के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक दावा पेश किया, जो दावा संख्या 152/1994 दिनांक 30 सितम्बर 1995 को खारिज कर दिया गया।
- जिसके खिलाफ विविध प्रार्थनापत्र संख्या 94/1995 पेश किया गया जो दिनांक 30 मार्च 1996 को स्वीकार कर वादी-अप्रार्थी का उक्त वाद डिकी कर दिया गया।
- विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी-प्रार्थी मांगीलाल ने अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील पेश की, जो अपील संख्या 184/2008 जरिये निर्णय दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

29 जून 2009 को स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

- अदालत हाजा के उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में कार्यवाही करते हुए न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा द्वारा प्रकरण पुनः बतौर वाद संख्या 47ए/2009(152/1994) गोरधन बनाम मांगीलाल आदि दर्ज किया गया। उक्त वाद की कार्यवाही के दौरान क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रार्थी मांगीलाल द्वारा आक्षेप भी सहायक कलेक्टर बिलाडा के समक्ष उठाया गया, मगर उक्त आक्षेप से संबंधित प्रार्थनापत्र सहायक कलेक्टर बिलाडा द्वारा दिनांक 21 जून 2010 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद दिनांक 02 अगस्त 2010 को एक प्रार्थनापत्र पेश कर दावा विदड्रो कर लिया गया।
- उपरान्त भी अप्रार्थी चिमनाराम द्वारा अदालत हाजा के समक्ष एक अपील पेश की गयी, जो अपील संख्या 23/2011 दिनांक 07 फरवरी 2012 को निस्तारित की गयी तथा सहायक कलेक्टर बिलाडा का द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 अक्तूबर 2010 (दावा विदड्रा) अपास्त करते हुए सहायक कलेक्टर भोपालगढ को रिमाण्ड किया गया।
- सहायक कलेक्टर बिलाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30 मार्च 1996 की आड में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा लिया था, किन्तु जब निर्णय 30 मार्च 1996 अपास्त हो चुका है तो राजस्व रिकार्ड में किये गये परिवर्तन भी निरस्त किये जावे, इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रार्थी मांगीलाल द्वारा धारा 144 सीपीसी पेश किया गया, जो 24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मई 2013 को दर्ज किया गया। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 15 मई 2015 खारिज कर दिया गया।

- जिसके खिलाफ प्रार्थी मांगीलाल ने अदालत हाजा के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश की, जो अपील संख्या 46/2015 मांगीलाल बनाम गोरधनराम व अन्य दिनांक 16 जून 2015 को संस्थित की गयी एवं 19 फरवरी 2018 को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होना मानते हुए खारिज कर दिया गया।
- अदालत हाजा के उक्त आदेश के खिलाफ आलोच्य रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मूल वाद राजस्व ग्राम बाडाकलां स्थित आराजियात के संबंध में क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 1996 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील पेश की गयी। इसके बाद सहायक कलेक्टर पीपाड का नवीन पद सृजित हो जाने से विवादित भू-भाग सहायक कलेक्टर पीपाड की क्षेत्राधिकारिता में आ गया और उसके बाद सहायक कलेक्टर भोपालगढ का नवीन पद सृजित हो जाने से मामला न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ के क्षेत्राधिकार का हो गया। इसके बाद तहसील कार्यालय पीपाडशहर सृजित होने से फिर विवादित भूभाग वाला गांव न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क्षेत्राधिकारिता में सम्मिलित हो गया, मगर अदालत हाजा द्वारा प्रकरण तत्समय के क्षेत्राधिकारिता के अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को विशिष्ठ रूप से अंकित करते हुए रिमाण्ड कर दिया, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब इस प्रकरण को सहायक कलेक्टर भोपालगढ द्वारा ही श्रवण किया जाकर निस्तारित किया जा सकेगा। आलौच्य निर्णय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु को अदालत हाजा द्वारा गुणावगुण के आधार पर विनिश्चत नहीं कर मात्र तकनीकी आधार पर ही विनिश्चित करने में भी विधिक भूल की गयी है, क्योंकि प्रार्थी ने अपनी ओर से यह अंकित किया था कि अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07 फरवरी 2012 में हस्तक्षेप नहीं करने के कथन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किये है, जो विधि-विरुद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत था, धारा 144 सीपीसी में यह प्रावधान है कि अगर किसी प्रकरण में पारित किसी आदेश की आड में कोई परिवर्तन कर दिया गया है और उसके बाद वह मूल आदेश/निर्णय प्रभाव में नहीं रहता है तो किये गये परिवर्तन के पूव की स्थिति बहाल की जानी चाहिये। आलौच्य मामले में यह स्थिति पूर्णतः लागू होती है, मगर इसका अनुकरण नहीं किया जा रहा है। अदालत हाजा द्वारा भी इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। अधिवक्ता-प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि धारा 144 सीपीसी का प्रार्थनापत्र अंतिम तौर पर अदालत हाजा द्वारा ही निस्तारित किये जाने योग्य था, न कि रिमाण्ड किये जाने योग्य था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसी अनुरूप सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। अदालत हाजा द्वारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अतः आलौच्य आदेश प्राइमा फेसी एरर अपारेण्ट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड के दोष से ग्रसित होने के कारण प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया गया कि आलौच्य आदेश दिनांक 19 फरवरी 2018 की नकल प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2018 को प्राप्त कर ली गयी थी, मगर प्रार्थी अपने निजी कार्यवश जोधपुर से बाहर गया हुआ था, 24 मार्च 2018 को वापिस जोधपुर आने पर अपने अधिवक्ता से दूरभाष पर सर्म्पक किया तो बताया गया कि अपील स्वीकार हो चुकी है, मगर न्यायालय में 01 अप्रेल 2018 तक अवकाश रहेगा, वरिष्ठ अधिवक्ता भी 28 मार्च 2018 तक उपलब्ध नहीं है, उसके बाद नकल मिल जायेगी। तब प्रार्थी ने 02 अप्रेल 2018 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा आलौच्य मे रही त्रुटि इंगित करते हुए रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश करने की सलाह दी, तदनुसार खर्चे व्यवस्था कर जानकारी की दिनांक से यह रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद-शुमार किया जाकर मेरिट पर स्वीकार किया जावे।

जवाब में अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रिव्यु प्रार्थनापत्र का स्कोप बहुत ही सीमित होता है और इसके माध्यम से मात्र उन्हीं त्रुटियों का परिमार्जन किया जा सकता है, जो मात्र सरसरी तौर पर बिना किसी तर्क-वितर्क के अभिलेख के मुखपृष्ठ पर परिलक्षित होती हो। रिव्यु प्रार्थनापत्र के माध्यम से किसी भी न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश/निर्णय के संबंध में अपीलीय न्यायालय के अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अदालत हाजा द्वारा धारा 144 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जिसके संबंध में जो तर्क रिव्यु प्रार्थना पत्र के स्तर पर उठाये गये है कि न्यायालय हाजा को तकनीकी आधार की बजाय गुणावगुण पर विनिश्चत करना चाहिये आदि-आदि, के संबंध में इतना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कहा जाना उचित एंव प्रासंगिक है कि यह तर्क अपील स्तर पर उठाये जाने योग्य है, रिव्यु प्रार्थनापत्र जैसे सरसरी स्तरीय कार्यवाही में इन तर्को बाबत विचार किया जाना सम्भव नहीं है। मियाद के संबंध में भी अधिवक्ता-अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है और मात्र यह कहा जाना पर्याप्त नहीं है कि प्रार्थी जोधपुर से बाहर गया हुआ था। आलौच्य आदेश के बारे में अधिवक्ता की जानकारी स्वयं प्रार्थी की जानकारी माने जाने का कानूनन प्रावधान है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्पष्ट तौर पर मियाद बाधित है। अतः इस आधार पर भी खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अदालत हाजा अधिवक्ता अप्रार्थीगण के इस तर्क से पूर्णतया सहमत है कि रिव्यु प्रार्थनापत्र का स्कोप बहुत ही सीमित होता है और इसके माध्यम से मात्र उन्हीं त्रुटियों का परिमार्जन किया जा सकता है, जो मात्र सरसरी तौर पर बिना किसी तर्क-वितर्क के अभिलेख के मुंखपृष्ठ पर परिलक्षित होती हो। रिव्यु प्रार्थनापत्र के माध्यम से किसी भी न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश/निर्णय के संबंध में अपीलीय न्यायालय के अधिकारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदालत हाजा इन तर्को से पूर्णतया सहमत है, किन्तु आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में धारा 144 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, धारा 144 सीपीसी के प्रावधान इस प्रकार है--

144.Application for restitution.-

(1) Where and in so far as a decree is varied or reversed, the Court of first instance shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

> for such decree or such part thereof as has been varied or reversed; and, for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and-mesne profits, which are properly consequential on such variation or reversal.
>
> (2) No suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by application under sub-section (1).

वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मार्च 1996 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील पेश की गयी। इसके बाद सहायक कलेक्टर पीपांडशहर का नवीन पद सृजित हो जाने से विवादित भू-भाग सहायक कलेक्टर पीपाडशहर की क्षेत्राधिकारिता में आ गया और उसके बाद सहायक कलेक्टर भोपालगढ का नवीन पद सृजित हो जाने से मामंला न्यायालय सहायक कलेक्टर भोपालगढ के क्षेत्राधिकार का हो गया। इसके बाद तहसील कार्यालय पीपाडशहर सृजित होने से पुनः विवादित भूभाग वाला गांव न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशंहर की क्षेत्राधिकारिता में, जो वर्तमान में भी विघमान है, सम्मिलित हो गया, मगर अदालत हाजा द्वारा प्रकरण तत्समय के क्षेत्राधिकारिता के अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ को विशिष्ठ रूप से अंकित करते हुए रिमाण्ड कर दिया, जबकि तत्समय वादग्रस्त आराजी के संबंध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर का था। स्पष्ट तौर पर प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा उक्त आदेश पारित करते समय ऐसी त्रुटि हुई जो प्रथम दृष्टया अभिलेख के मुखपृष्ट पर प्रंकट होने वाली त्रुटियों की श्रेणी में आती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी मात्र तकनीकी आधारों पर ख़ारिज किया गया है, मामले के गुणावगुण के आधार पर नहीं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतः प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 46/2015 मांगीलाल बनाम गोरधनराम आदि में पारित निर्णय दिनांक 19 फरवरी 2018 संशोधित करते हुए उक्त निर्णयानुसार प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ की बजाय वर्तमान अधिकारिता के न्यायालय "सहायक कलेक्टर पीपाडशहर" को धारा 144 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण प्रकरण के गुणावगुण के आधार पंर किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालयं में सुनाया गया।

22/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर